



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1316]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2006/कार्तिक 10, 1928

No. 1316]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2006/KARTIKA 10, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली; 1 नवम्बर, 2006

का.आ. 1883(अ).—केन्द्र सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री मानवेन्द्र कचोले, प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डा.वी.आर. अम्बेडकर विद्यापीठ, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) तथा अध्यक्ष, सतकारी संगठन, (ii) डा. रायट्री क्रिसटोफर लालू, मिशन कम्पाउंड जोवाई - 793150 जिला जाइन्तिया हिल्स, मेघालय और (iii) डा. एफ.बी. पाटिल, निदेशक (तकनीकी), मैसर्स अजीत बीज लि., चिटगांव -431 105, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और सचिव, अखिल भारतीय फसल जैव प्रौद्योगिकी संघ को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अशासकीय सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और उस उद्देश्य के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) का.आ. 1589 (अ) तारीख 11 नवम्बर, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उपर्युक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि (ix) से (xi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेगी, अर्थात् :-

(ix) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कृषक संगठन से प्रतिनिधि

श्री मानवेन्द्र कचोले, प्रमुख

सदस्य

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

डा.बी.आर. अम्बेडकर विद्यापीठ,

औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

एवं अध्यक्ष, सतकारी संगठन

- (x) जनजातीय संगठन के प्रतिनिधि, सदस्य
डा. रायट्री क्रिसटोफर लालू,
मिशन कम्पाउंड, जोवाई - 793150
जिला जाइन्तिया हिल्स, मेघालय
- (xi) बीज उद्योग के प्रतिनिधि सदस्य
डा. एफ.बी. पाटिल, निदेशक (तकनीकी),
मैसर्स अजीत बीज लि.,
चिटगांव-431 150
औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और
सचिव, अखिल भारतीय फसल जैवप्रौद्योगिकी संघ

2. उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

[फा. सं. 1-2/2003-एसडी-V]

एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव (बीज)

नोट : मूल अधिसूचना तारीख 11 नवम्बर, 2005 को अ.शा. सं. 1589 (अ) तारीख 11 नवम्बर, 2005 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग ii, खण्ड-3, उप खण्ड (II) में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2006

S.O. 1883(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby nominates (i). Mr. Manvendra Kachole, Head, Department of Biotechnology, Dr. B.R. Ambedkar Vidyapeeth, Aurangabad (Maharashtra) and President, Shetkari Sangathan, (ii). Dr. Roytre Christopher Laloo, Mission Compound, Jowai - 793 150, District Jaintia Hills, Meghalaya and (iii). Dr. F.B. Patil, Director (Technical), M/s. Ajeet Seeds Ltd., Chitegaon - 431 105, Aurangabad (Maharashtra) and Secretary, All India Crop Biotechnology Association as non-official members of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority and for that purpose makes the following amendments in the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) number SO 1589(E) dated the 11th November, 2005, namely:-

In the said notification, for entries (ix) to (xi), the following entries shall be substituted, namely:-

- ix. **Representative from a National or State Level Farmer's organization:**
Mr. Manvendra Kachole, Head, ... Member.
Department of Biotechnology,
Dr. B.R. Ambedkar Vidyapeeth,
Aurangabad (Maharashtra)
and President, Shetkari Sangathan.

- x. **Representative from a tribal organization:**
Dr. Roytre Christopher Laloo, ... Member.
Mission Compound, Jowai - 793 150,
District Jaintia Hills, Meghalaya.
- xi. **Representative from the seed industry:**
Dr. F.B. Patil, Director (Technical) ... Member.
M/s. Ajeet Seeds Ltd.,
Chitegaon - 431 105,
Aurangabad (Maharashtra), and
Secretary, All India Crop Biotechnology
Association.

2. The terms of office of the aforesaid Members shall be for a period of three years from the date of their appointment.

[F.No. 1-2/2003-SD-V]
S. L. BHAT, Jt. Secy. (Seeds)

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th November, 2005 vide SO No. 1589(E) dated the 11th November, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2006

का.आ. 1884(अ).- केन्द्र सरकार, पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित फसलों को उनकी प्रजातियों समेत उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की किस्मों के लिये अधिसूचित करती है :-

क्रं.सं.	साधारण नाम	हिन्दी/स्थानीय नाम	वनस्पति वैज्ञानिक नाम
1.	राइस	चावल	ओरीजा सटीवा एल.
2.	ब्रेड व्हीट	गेहूं	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.
3.	मेज	मक्का	जी मेस एल.
4.	सोरघम	ज्वार	सोरघम बाई कलर (एल) माएन्क
5.	पर्ल मिलेट	बाजरा	पैनिन्सेटम ग्लाकम (एल) आर वी आर
6.	चिकपी	चना	साइसर एरीटीनम एल
7.	पिजन पी	अरहर	कजानुस कजान (एल) मिलस्प
8.	ग्रीन ग्राम	मूंग	विग्ना रेडियेट (एल) विल्कजेक
9.	ब्लैकग्राम	उरद	विग्ना मुन्नो (एल) हैपर
10.	लेटिल	मसूर	लैन्स कुलीनारिस मेडिक
11.	फील्ड पी	मटर	पाइसम सेडिबम एल.
12.	किडनी बीन	राजमा	फासेलस वलगारिस एल.

[फा. सं. 1-2/2003-एसडी-V]
एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव (बीज)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2006

S.O. 1884(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby notifies the following crops with their genera eligible for registration of varieties under the said Act:-

Serial number	Common name	Hindi/Local name	Botanical name
1.	Rice	Chawal	<i>Oryza sativa</i> L.
2.	Bread wheat	Gehun	<i>Triticum aestivum</i> L.
3.	Maize	Makka	<i>Zea mays</i> L.
4.	Sorghum	Jowar	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
5.	Pearl millet	Bajra	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.
6.	Chickpea	Chana	<i>Cicer arietinum</i> L.
7.	Pigeon pea	Arhar	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.
8.	Green gram	Mung	<i>Vigna radiate</i> (L.) Wilczek
9.	Black gram	Urd	<i>Vigna Mungo</i> (L.) Hepper
10.	Lentil	Masur	<i>Lens culinaris</i> Medik
11.	Field pea	Matar	<i>Pisum sativum</i> L.
12.	Kidney bean	Rajmah	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.

[F.No. 1-2/2003-SD-V]

S. L. BHAT, Jt. Secy. (Seeds)